**भारतीय फुटवियर, चमड़ा और सहायक सामान क्षेत्र विकास कार्यक्रम की चमड़ा, फुटवेयर और सहायक सामान क्षेत्र उप-योजना में भारतीय ब्रांडों का संवर्धन करने के लिए दिशानिर्देश**

**1. पृष्ठभूमि**

निर्यात आय, रोजगार अवसरों के सृजन की संभावना और इसके सतत विकास की अनुकूल स्थिति के कारण चमड़ा और फुटवेयर क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवथा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके घरेलू उत्पादन और निर्यात में वृद्धि की काफी संभावना है।

तथापि, चमड़ा, फुटवेयर और सहायक सामान क्षेत्र में भारतीय निर्यात, मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों को प्राथमिकता देता है। यद्यपि बड़े भारतीय आपूर्तिकताओं को काफी ज्ञान तथा पिछले कई वर्षों के दौरान इन अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों की देखरेख करने का अनुभव प्राप्त है तथा उनके पास ऐसे साधन मौजूद हैं जिससे वे अपना ब्रांड बना सकते हैं जो उन्हें बाजार में प्रमुख स्थान दिला सकता है, तथापि इस क्षेत्र में कम लाभ के कारण उद्योग और कंपनी स्तर पर विपणन पहलों की स्थिति खराब और उपेक्षित है, जिससे बड़े उद्योग ब्रांड बनाने के लिए निवेश नहीं कर रहे हैं।

ब्रांड 'सम्पत्ति सृजन' का मुख्य साधन माना जाता है और इसे मांग सृजित करने के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह व्यवसाय प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है; यह एक समग्र अनुभव है जिसमें गुणवत्ता आश्वासन, उत्पाद सेवा, ग्राहक को जानना, पुन: खरीदारी और व्यक्तिपरक उम्मीदों को पूरा करना शामिल है।

**2. उद्देश्य**

आईएलडीपी की इस उप-योजना का उद्देश्य चमड़ा, फुटवेयर और सहायक सामान क्षेत्र में प्रमुख भारतीय विनिर्माताओं को अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग संबंधी सहायता प्रदान करना है ताकि वे ब्रांड को परिसम्पत्ति के रूप में प्राप्त कर सकें तथा अपने उत्पादों का उच्च मूल्य प्राप्त कर सकें और भारतीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच स्थापित करने में, क्षेत्र के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने में उन्हें सहायता मिल सके।

**3. पात्रता मानदंड**

तैयार चमड़ा, चमड़े की वस्तुएं, चमड़े के परिधान, जीनसाजी, फुटवेयर और फुटवेयर संघटक सहित चमड़ा, फुटवेयर और सहायक सामान क्षेत्र में सभी भारतीय विनिर्माता जिन्हें (i) पिछले 3 वर्षों के दौरान नगद लाभ हुआ हो, (ii) उनके द्वारा विनिर्मित उत्पादों का न्यूनतम निर्यात 75 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष हो अथवा उनके द्वारा विनिर्मित उत्पादों की न्यूनतम घरेलू बिक्री 75 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष हो, (iii) भारतीय ब्रांड जिनका भारतीय/विदेशी बाजार में पंजीकृत लोगो हो, व्यवहार्य ब्रांड संवर्धन कार्यक्रम चला रहे हों।

**4. पात्र क्रियाकलाप**

**क) अंतर्राष्ट्रीय डिपार्टमेंटल स्टोर में प्रदर्शन:**

विशिष्ट भारतीय ब्रांड और इसके उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय वितरकों/प्रमुख दुकानों के साथ साझेदारी का इस्तेमाल किया जाएगा। विपणन अध्ययनों/सर्वेक्षणों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय डिपार्टमेंटल स्टोरों की पहचान की जाएगी।

**ख) विश्व स्तरीय कैटलॉग प्रकाशित करना:**

चिह्नित बाजारों में इस्तेमाल के लिए भारतीय ब्रांडों और उनके उत्पादों के विश्वस्तरीय कैटलॉग से बाजार तक पहुंच बनाने और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय ब्रांडों और उनके उत्पादों का निर्माण करने में मदद मिलेगी। चमड़ा, फुटवेयर और सहायक सामान क्षेत्र में पात्र भारतीय कंपनियां चिह्नित किए गए बाजारों के लिए ये उपयुक्त कैटलॉग बना सकती हैं।

**ग) विदेशों में भारतीय ब्रांड/लोगो के लिए पंजीकरण शुल्क**

इस योजना के तहत, जब भी आवश्यक होगा अथवा खरीदार देशों में सांविधिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने ब्रांड का पंजीकरण कराने के लिए भारतीय विनिर्माताओं को प्रतिपूर्ति आधार पर सहायता प्रदान की जाएगी।

**घ) प्रचार अभियान और ब्रांड संवर्धन**

चमड़ा, फुटवेयर और सहायक सामान क्षेत्र तथा इसके उत्पादों का पहचाने गए बाजारों में सही मीडिया माध्यमों के केंद्रित ओर गहन उपयोग के जरिए व्यापक प्रचार अभियान ताकि चमड़ा, फुटवेयर और सहायक सामान क्षेत्र में संबंधित वैश्विक व्यावसायिक समुदाय को सूचित करने हेतु डिजिटल, सोशल, इलैक्ट्रॉनिक, आउटडोर और प्रिंट मीडिया के व्यापक इस्तेमाल के जरिए भारतीय ब्रांड और इसके उत्पादों से परिचित रखा जाना।

**5. कार्यान्वयन पद्धति**

क) चमड़ा, फुटवेयर और सहायक सामान व्यवसाय में कार्यरत तथा अपना उत्पादन और क्षमता बढ़ाने तथा अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने के इच्छुक भारतीय विनिर्माताओं (पैरा 3 के अनुसार) एवं ब्रांड के निर्माण और अवसंरचना के उन्नयन के लिए निवेश करने वालों को इस योजना के तहत लाभ उपलब्ध होंगे।

ख) पात्र भारतीय विनिर्माता द्वारा इस प्रयोजन के लिए डीआईपीपी द्वारा निर्धारित एजेंसी, जो इस उप-योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगी, के साथ परामर्श करके प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। तत्पश्चात् पात्र भारतीय विनिर्माता इसी निर्धारित एजेंसी के जरिए इस प्रयोजन के लिए गठित संचालन समिति के समक्ष विस्तृत

परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। संचालन समिति विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के आधार पर प्रस्ताव पर विचार करेगी।

ग) निर्धारित एजेंसी निगरानी और बाद के मूल्यांकन के लिए भी उत्तरदायी होगी जिसमें प्रत्येक परियोजना का मध्यावधि और आवधिक मूल्यांकन शामिल है।

घ) लाभार्थी इकाइयों के लिए आधाररेखा मूल्यों से परिणाम के रूप में प्राप्त होने वाले लाभों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जा सकता है जैसे निर्यात में बढ़ोतरी, अधिक मूल्य की प्राप्ति आदि।

**6. परिभाषा**

i) इस उप-योजना के लिए इसके ग्रेमेटिकल वैरियेशंस के साथ, 'विनिर्माण' का अर्थ एक निर्जीव वस्तु अथवा पदार्थ में परिवर्तन होना है जिससे

(क) वस्तु अथवा पदार्थ किसी अन्य नई अथवा विशेष वस्तु अथवा पदार्थ में बदल जाता है जिसका अलग नाम, विशेषता और उपयोग है; अथवा

(ख) अलग रसायनिक संयोजन अथवा आंतरिक संरचना के साथ एक नया और विशेष पदार्थ अथवा वस्तु का निर्माण करना।

iii) भारतीय ब्रांड का स्वामित्व और नियंत्रण, निवासी भारतीय नागरिकों और/अथवा ऐसी कंपनियों के पास होना चाहिए जिनका स्वामित्व और नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिकों के पास है। स्वामित्व और नियंत्रण की परिभाषा सरकार की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति में निहित परिभाषा के समान होगी।

**7. सहायता का प्रारूप**

क) आईएलडीपी की इस उप-योजना के तहत सरकारी सहायता, प्रस्तुत किए गए विस्तृत परियोजना प्रस्ताव की कुल परियोजना लागत के आधार पर संचालन समिति द्वारा अनुमोदित किए गए अनुसार सभी पात्र क्रियाकलापों के लिए कुल परियोजना लागत के 50% तक सीमित होगी जो अगले 3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष प्रति ब्रांड 3 करोड़ रुपए की सीमा के अध्यधीन है। परियोजना लागत का शेष 50% हिस्सा, भारतीय विनिर्माता का होगा।

ख) कार्यान्वयन और निगरानी के लिए निर्धारित एजेंसी, कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में भारत सरकार की 1% सहायता के लिए पात्र होगी।

**8. निधि जारी करना**

क) अनुमोदित भारतीय विनिर्माता, जैसा भी मामला हो, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में परियोजना विशिष्ट ट्रस्ट एंड रिटेंशन अकाउंट (टीआरए) रखेगा तथा सरकार द्वारा जारी निधि इस खाते में आएगी। प्रस्ताव के अनुमोदन के बाद सरकार अनुमोदित प्रस्ताव के लिए निम्नानुसार 3 चरणों में अपने हिस्से की सहायता जारी करेगी:

ख) **पहली किस्त:** परियोजना के अंतिम अनुमोदन तथा परियोजना विशिष्ट विवरण, जिसमें भारतीय विनिर्माता द्वारा टीआरए में जमा किया गया आनुपातिक अंशदान (अर्थात् इकाई के हिस्से का 40%) दर्शाया गया हो, प्रस्तुत करने के बाद अग्रिम के रूप में 40% सहायता।

ग) **दूसरी किस्त:** पहली किस्त के पूरे इस्तेमाल का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने तथा परियोजना विशिष्ट विवरण, जिसमें भारतीय विनिर्माता द्वारा टीआरए में जमा किया गया आनुपातिक अंशदान (अर्थात् दूसरी किस्त के रूप में इकाई के हिस्से का 30%) दर्शाया गया हो, प्रस्तुत करने के बाद अग्रिम के रूप में 30% सहायता।

घ) **तीसरी और अंतिम किस्त:** परियोजना पूरी होने, भारत सरकार के अनुदान की पिछली किस्तों के उपयोग ओर इकाई के 100% हिस्से के पूरे उपयोग से संबंधित सभी संगत दस्तावेज प्रस्तुत करने तथा परियोजना विशिष्ट विवरण, जिसमें भारतीय विनिर्माता द्वारा टीआरए में जमा किया गया आनुपातिक अंशदान (अर्थात् तीसरी किस्त के रूप में इकाई के हिस्से का 30%) दर्शाया गया हो, प्रस्तुत करने के बाद प्रतिपूर्ति आधार पर 30% सहायता।

**9. परियोजना की निगरानी और मूल्यांकन**

क) निर्धारित एजेंसी द्वारा निगरानी किए जाने, जैसा कि ऊपर पैरा 5 में उल्लेख किया गया है, के अलावा यह विभाग संचालन समिति के जरिए योजना के तहत परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करेगा। समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम-से-कम एक बार होगी।

ख) ऊपर पैरा 5 में उल्लेखानुसार निर्धारित एजेंसी निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली बनाएगी तथा प्रत्येक तिमाही में एक बार अपनी आवधिक रिपोर्ट/विवरण विभाग के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

**10. अन्य निबंधन एवं शर्तें**

क) सरकार की वित्तीय सहायता का इस्तेमाल, इसके अनुमत कार्य के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकता।

ख) यदि भारतीय विनिर्माता सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त होने के दो वर्ष के भीतर कार्य बंद कर देता है तो वह इसके बंद होने की तारीख से निधि वापसी की तारीख तक राष्ट्रीयकृत बैंक (जैसा भी मामला हो) की ऋण दर पर ब्याज सहित वित्तीय सहायता वापस करने के लिए उत्तरदायी होगा।

ग) यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि किसी भी गलत जानकारी के आधार पर सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त की गई है तो वह इकाई संवितरण की तारीख से वापसी की तारीख तक ब्याज सहित सरकारी वित्तीय सहायता लौटाने के लिए उत्तरदायी होगी। ब्याज की दर इस दंडात्मक प्रावधान को लागू करने के समय बैंक की प्रधान ऋण दर होगी।

****